न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)

क्रमांक / न्याय / 2021 / प्रकरण संख्या 01 / 2021 दिनांक 06.02.2021

प्रेषिति,

(1) भू–अभिलेख निरीक्षक माण्डलगढ
(2) पटवारी हल्का गेणोली

विषयः– अन्तर्गत प्रार्थना पत्र धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रकरण संख्या 01 / 2021 उनवान भँवरलाल पिता मोतीलाल स्वर्णकार निवासी माण्डलगढ बनाम मोतीलाल पिता देवा रेगर निवासी गेणोली तहसील माण्डलगढ मे पारित निर्णय की पालना करने बाबत।

––000––

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय के प्रकरण संख्या 01 / 2021 उनवान भँवरलाल पिता मोतीलाल स्वर्णकार निवासी माण्डलगढ बनाम मोतीलाल पिता देवा रेगर निवासी गेणोली तहसील माण्डलगढ मे दिनांक 05.02.2021 को निर्णय पारित किया गया है। निर्णय अनुसार प्रार्थी की ग्राम गेणोली पटवार हल्का गेणोली स्थित आराजी नं. 173, 175 पर आने जाने के लिए अप्रार्थी की आराजी नं. 177 के दक्षिणी–पश्चिमी कोने पर लगी लोहे की फाटक पर अप्रार्थी द्वारा लगाये गये ताले को खुलवा कर 177 की दक्षिणी मेड पर विद्यमान कदीमी रास्ते को खुलासा करने का आदेश दिया जाता है। पालना रिपोर्ट अविलम्ब इस न्यायालय मे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– निर्णय की प्रति

तहसीलदार माण्डलगढ

तहसीलदार माण्डलगढ़

17/2/2021

Scanned with CamScanner

न्यायालय तहसीलदार, माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी R.T.S. तहसीलदार माण्डलगढ

प्रकरण संख्या 01/2021

दायर दिनांक: 29.01.2021

उनवान

भँवरलाल पिता मोतीलाल स्वर्णकार निवासी माण्डलगढ जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

मोतीलाल पिता देवा रेगर निवासी गेणोली तहसील माण्डलगढ

अप्रार्थीगण

अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251

निर्णय दिनांक: 05.02.2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थी भँवरलाल पिता मोतीलाल स्वर्णकार निवासी माण्डलगढ जिला भीलवाडा ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर परिवाद क्रमांक 1210789357783 द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी की ग्राम गेणोली स्थित खातेदारी भूमि के आराजी नं. 173, 175 पर जाने हेतु रास्ता है जिस पर प्रार्थी का गेट लगा हुआ है उस रास्ते को अप्रार्थी मोतीलाल पिता देवा रेगर निवासी गेणाली ने बन्द कर दिया है यह रास्ता पूर्वजो के समय का है अतः शीघ्र ही उचित कार्यवाही करते हुए रास्ता को खुलवाया जावे। प्राप्त परिवाद के आधार पर प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251 के तहत दर्ज किया जाकर अप्रार्थी मोतीलाल पिता देवा रेगर निवासी गेणोली को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं भू–अभिलेख निरीक्षक, माण्डलगढ व पटवारी हल्का गेणोली को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

भू–अभिलेख निरीक्षक माण्डलगढ ने दिनांक 04.02.2021 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि प्रार्थी अपनी स्वयं की खातेदारी आराजी नं. 173, 175 पर आने जाने के लिए कई वर्षो से सरकारी रास्ता आराजी नं. 186 से होकर अप्रार्थी मोतीलाल पिता देवा रेगर निवासी गेणोली की खातेदारी आराजी नं. 177 की दक्षिणी मेड पर होकर स्वयं की खातेदारी भूमि मे जाता है। अप्रार्थी ने आराजी नं. 177 की दक्षिणी–पश्चिमी कोने पर एक लोहे की फाटक लगाई हुई है जिस पर पूर्व मे एक ताला लगाकर एक चाबी प्रार्थी व एक चाबी अप्रार्थी के पास रहती थी। विगत दिनो दोनो मे विवाद होने से अप्रार्थी ने उक्त फाटक पर ताला बदलकर चाबी अपने पास रख ली है जिससे प्रार्थी का खेत पर आने जाने का रास्ता बन्द हो गया है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है। इस कदीमी रास्ते को वर्तमान मे अप्रार्थी द्वारा ताला लगाकर बन्द किया हुआ है। मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 05.02.2021 को अप्रार्थी मोतीलाल पिता देवा रेगर निवासी गेणाली ने उपस्थित होकर अवगत करवाया कि ग्राम गेणोली के आराजी नं. 174 गै.मू. आचा प्रार्थी एवं अप्रार्थी के नाम सहखातेदारी हक मे रिकॉर्ड दर्ज है अप्रार्थी उक्त आचा पर आने जाने व सिचाई हेतु पाइप लगाने के लिए प्रार्थी की आराजी नं. 175 का उपयोग करता है। प्रार्थी द्वारा इस रास्ते को बन्द करने के कारण अप्रार्थी ने भी ताला लगाकर रास्ता बन्द कर दिया है।

तहसीलदार माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

मेरे द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गई। अप्रार्थी द्वारा आराजी नं. 177 की दक्षिणी मेड पर विद्यमान कदीमी रास्ते को फाटक पर ताला लगाकर बन्द करना स्वीकार किया है। भू–अभिलेख निरीक्षक माण्डलगढ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने आराजी नं. 177 की दक्षिणी–पश्चिमी कोने पर लगी लोहे की फाटक पर ताला लगाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जाने वाले कदीमी रास्ते को बन्द कर दिया है। प्रार्थी द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251 के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ग्राम गेणोली पटवार हल्का गेणोली स्थित आराजी नं. 173, 175 पर आने जाने के लिए अप्रार्थी की आराजी नं. 177 के दक्षिणी–पश्चिमी कोने पर लगी लोहें की फाटक पर अप्रार्थी द्वारा लगाये गये ताले को खुलवा कर 177 की दक्षिणी मेड पर विद्यमान कदीमी रास्ते को खुलासा करने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की पालना हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक माण्डलगढ एवं पटवारी हल्का गेणोली को पृथक से लिखा जावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुरेन्द्र सिंह चौधरी)
तहसीलदार माण्डलगढ

Scanned with CamScanner